



Haryana Industrial Training Directorate,
Headquarters: Chandigarh

सेवा में,

1. प्रधानाचार्य/वर्ग अनुदेशक इंचार्ज,
सभी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हरियाणा राज्य में।
2. प्रधानाचार्य/वर्ग अनुदेशक इंचार्ज (महिला)
सभी राजकीय (महिला) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हरियाणा राज्य में।

यादि क्रं० टी-1/दाखिला/2016-17/60
दिनांक:- 22.08.2016

विषय:- दाखिला उपरान्त रिपोर्ट न करने वाले प्रशिक्षार्थियों का नाम पोर्टल से काटने बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

आपको निर्देश दिए जाते हैं कि जिन प्रशिक्षार्थियों ने दाखिले उपरान्त निर्धारित तिथि तक संस्थान में रिपोर्ट नहीं किया है अथवा जिन प्रशिक्षार्थियों ने स्वयं संस्थान से नाम काटने का अनुरोध किया है, उन बारे नियमानुसार कार्यवाही करते हुए उनका नाम पोर्टल से काटें ताकि इन रिक्त सीटों के प्रति दाखिला किया जा सके। नाम काटने की कार्यवाही नियमानुसार अपने स्तर पर पूर्ण जांच पड़ताल करने उपरान्त ही करें ताकि बाद में कोई वाद-विवाद उत्पन्न न हो। यदि ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो इसके लिए संस्थान का मुखिया स्वयं जिम्मेवार होगा।

सहायक निदेशक (प्रशिक्षण-व)
कृते: महानिदेशक औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग
हरियाणा।

पृष्ठांकन न० टी-1/दाखिला/2016-17/60

दिनांक :- 22.08.2016

उपरोक्त पत्र की एक प्रति उप निदेशक (प्राइवेट आईटीआई) को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ भेजी जाती है तथा अनुरोध किया जाता है कि सभी प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अपने स्तर पर अवगत करवाएं।

सहायक निदेशक (प्रशिक्षण-व)
कृते: महानिदेशक औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग
हरियाणा।

CC:

1. स्टैनो टू अतिरिक्त निदेशक (तकनीकी)
2. सहायक निदेशक (प्रशिक्षण-1) विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बारे।